

क्रमांक: प.6(2)साप्र/5/2012-02135

जयपुर, दिनांक: 06-10-2023

आज्ञा

राजस्थान विश्राम भवन (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 2019 के नियम 31 के अन्तर्गत सहायक प्रबन्धक से प्रबन्धक के पद पर पदोन्नति हेतु वर्ष 2023-24 के लिए गठित पदोन्नति समिति की अनुशंषानुसार वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर निम्नांकित सहायक प्रबन्धक को प्रबन्धक के पद पर वेतनमान Pay Matrix Level-10 (L-10) में एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम अधिकारी	वर्ग	रिक्ति दिनांक	विशेष विवरण
1.	श्री मोहन लाल सिंघल		01.04.2023	(सेवानिवृत्त)
2.	श्री महावीर प्रसाद शर्मा		01.04.2023	(सेवानिवृत्त)
3.	श्री हुकम सिंह	अजा	01.04.2023	
4.	श्री भरतलाल नाथ		01.04.2023	
5.	श्री सौरभ सिन्हा		01.04.2023	
6.	श्री नरेश वर्मा		01.04.2023	
7.	श्री बृजमोहन शर्मा		01.04.2023	
8.	श्री शीतल जैन		01.04.2023	
9.	श्री देवेन्द्र राठौड़		01.04.2023	
10.	श्री महेश चन्द गुर्जर		01.04.2023	
11.	श्री संदीप चौधरी		01.04.2023	
12.	श्री सरोज कुमार तिवारी		01.04.2023	
13.	श्री राजेश कुमार महला		01.07.2023	

(दिव्यांगजन हेतु आरक्षित एक पद के विरुद्ध कोई दिव्यांगजन उपलब्ध नहीं होने के कारण दिव्यांगजन आरक्षण को अग्रेषित किया जाता है)

विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयनित कार्यरत अधिकारी अपने नाम के सम्मुख अंकित रिक्ति की तिथि से पदोन्नति के पात्र है। पदोन्नति का वास्तविक लाभ कार्यग्रहण की तिथि से देय होगा।

वर्तमान में सेवारत अधिकारी अपने वर्तमान स्थान पर ही कार्यग्रहण कर कार्यग्रहण रिपोर्ट विभाग को भिजवाये।

राज्यपाल की आज्ञा से

(डॉ० हर सहाय मीणा)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव (जीजी), मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग।
3. संबंधित जिला कलक्टर।
4. संबंधित कोषाधिकारी।
5. मुख्य लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-4) विभाग।
6. संबंधित अधिकारी।
7. निजी पत्रावली।
8. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

